



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225027
CG-DL-E-09022021-225027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 68]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 107(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ओडिशा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में 'ओडिशा' शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

“ओडिशा”

| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 135 |
|---|-----|
| मुख्य सचिव | 1 |
| सदस्य, राजस्व बोर्ड | 1 |
| मुख्य प्रशासक, केबीके | 1 |
| विकास आयुक्त-सह-एसीएस एवं सरकार में योजना और समन्वय विभाग के सचिव | 1 |

| | | |
|---|---|-----|
| | कृषि उत्पादन आयुक्त | 1 |
| | सरकार के प्रधान सचिव | 9 |
| | महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वयन, गोपबंधु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर | 1 |
| | राज्यपाल के प्रधान सचिव | 1 |
| | आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली | 1 |
| | राजस्व मंडलीय आयुक्त | 3 |
| | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | 1 |
| | परिवहन आयुक्त | 1 |
| | आयुक्त-सह-मुख्यमंत्री के सचिव | 1 |
| | आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के विशेष सचिव | 29 |
| | विशेष राहत आयुक्त | 1 |
| | सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव | 24 |
| | सचिव, राजस्व बोर्ड | 1 |
| | पंजीयक, सहकारी समिति | 1 |
| | निदेशक, अ.ज.जा. और अ.जा. विकास | 1 |
| | निदेशक, पंचायती राज | 1 |
| | उद्योग निदेशक | 1 |
| | रोजगार निदेशक | 1 |
| | पंजीयन महानिरीक्षक | 1 |
| | उत्पाद शुल्क आयुक्त | 1 |
| | श्रम आयुक्त | 1 |
| | पर्यटन निदेशक | 1 |
| | वस्त्र एवं हथकरघा निदेशक | 1 |
| | निदेशक, सामाजिक कल्याण | 1 |
| | निदेशक, विशेष परियोजना | 1 |
| | जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर | 30 |
| | अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, ग्रेड-1/परियोजना प्रशासक, आई.टी.डी.ए. | 7 |
| | निदेशक, प्रारंभिक एवं जन शिक्षा | 1 |
| | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा | 1 |
| | निदेशक, एनआरएलएम | 1 |
| | निदेशक, एनआरएचएम | 1 |
| | निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण | 1 |
| | निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन | 1 |
| | निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं | 1 |
| | निदेशक, मत्स्यपालन | 1 |
| 1 | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 135 |
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40% | 54 |

| | | |
|---|---|-----|
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25% | 33 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5% | 04 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5% | 22 |
| 6 | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 का अधिकतम 33 1/3% | 75 |
| 7 | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6) | 173 |
| | कुल प्राधिकृत पद संख्या | 248 |

[फा. सं. 11031/01/2019-अ.भा.से.-II(क)]

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व ओडिशा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 237 थी।

टिप्पणी (2) : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की का.नि.आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् इन्हें ओडिशा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया:-

| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख | क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख |
|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|
| 1 | 386 | 22.03.75 | 11 | 294 | 12.06.93 |
| 2 | 574(अ) | 08.12.78 | 12 | 469 | 25.09.93 |
| 3 | 619 | 28.04.79 | 13 | 319(अ) | 31.03.95 |
| 4 | 770 | 09.06.79 | 14 | 739(अ) | 31.12.97 |
| 5 | 598 | 27.06.81 | 15 | 477(अ) | 29.06.99 |
| 6 | 776 | 18.09.82 | 16 | 246 | 22.06.2000 |
| 7 | 470 | 20.06.87 | 17 | 80(अ) | 08.02.2008 |
| 8 | 659 | 23.11.91 | 18 | 855(अ) | 12.12.2008 |
| 9 | 438 | 03.10.92 | 19 | 188(अ) | 24.03.2009 |
| 10 | 85 | 13.02.93 | 20 | 719(अ) | 13.10.2014 |

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 9th February, 2021

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Odisha**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Odisha**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Odisha

| Senior Duty Posts under the State Government | | 135 |
|---|--|------------|
| | Chief Secretary | 1 |
| | Member, Board of Revenue | 1 |
| | Chief Administrator, KBK | 1 |
| | Development Commissioner-cum-ACS & Secretary to Government, Planning & Coordination Department | 1 |
| | Agriculture Production Commissioner | 1 |
| | Principal Secretary to Government | 9 |
| | Director General, Training Co-ordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar | 1 |
| | Principal Secretary to Governor | 1 |
| | Resident Commissioner, New Delhi | 1 |
| | Revenue Divisional Commissioner | 3 |
| | Commissioner, Commercial Taxes | 1 |
| | Transport Commissioner | 1 |
| | Commissioner-cum-Secretary to Chief Minister | 1 |
| | Commissioner-cum-Secretary/Special Secretary to Government | 29 |
| | Special Relief Commissioner | 1 |
| | Secretary/ Additional Secretary /Joint Secretary /Deputy Secretary | 24 |
| | Secretary, Board of Revenue | 1 |
| | Registrar, Cooperative Societies | 1 |
| | Director, ST & SC Development | 1 |
| | Director, Panchayati Raj | 1 |
| | Director of Industries | 1 |
| | Director of Employment | 1 |
| | Inspector General of Registration | 1 |
| | Excise Commissioner | 1 |
| | Labour Commissioner | 1 |
| | Director of Tourism | 1 |
| | Director of Textiles & Handloom | 1 |
| | Director, Social Welfare | 1 |
| | Director, Special Project | 1 |
| | District Magistrates and Collectors | 30 |
| | Additional District Magistrates/Sub-Collector, Grade-I/Project Administrator, I.T.D.A | 7 |
| | Director, Elementary and Mass Education | 1 |
| | Director, Secondary Education | 1 |
| | Director, NRLM | 1 |
| | Director, NRHM | 1 |
| | Director, Technical Education & Training | 1 |
| | Director, Agriculture and Food Production | 1 |
| | Director, Animal Husbandry and Veterinary Services | 1 |
| | Director, Fisheries | 1 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Total Senior Duty Posts | 135 |
| 2 | Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above | 54 |
| 3 | State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above | 33 |
| 4 | Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above | 04 |
| 5 | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above | 22 |
| 6 | Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above | 75 |
| 7 | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) | 173 |
| | Total Authorised Strength | 248" |

[F. No. 11031/01/2019-AIS-II(A)]

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secy.

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Odisha IAS Cadre was 237.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Odisha Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

| S.No. | G.S.R. No. | Date | S.No | G.S.R. No. | Date |
|-------|------------|----------|------|------------|------------|
| 1 | 386 | 22.03.75 | 11 | 294 | 12.06.93 |
| 2 | 574(E) | 08.12.78 | 12 | 469 | 25.09.93 |
| 3 | 619 | 28.04.79 | 13 | 319(E) | 31.03.95 |
| 4 | 770 | 09.06.79 | 14 | 739(E) | 31.12.97 |
| 5 | 598 | 27.06.81 | 15 | 477(E) | 29.06.99 |
| 6 | 776 | 18.09.82 | 16 | 246 | 22.06.2000 |
| 7 | 470 | 20.06.87 | 17 | 80(E) | 08.02.2008 |
| 8 | 659 | 23.11.91 | 18 | 855(E) | 12.12.2008 |
| 9 | 438 | 03.10.92 | 19 | 188(E) | 24.03.2009 |
| 10 | 85 | 13.02.93 | 20 | 719(E) | 13.10.2014 |